

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

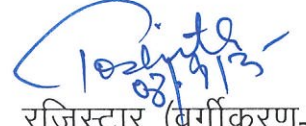
एकल स्रोत निविदा सूचना

क्रमांक HC/SK/Procurement/2025-26/23

दिनांक : 08.09.2025

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक वर्ष हेतु कुक की सेवाएं लेने के सम्बन्ध में इसके सेवा प्रदाता श्री नारायण राम s/o श्री दुर्गा राम, निवासी-कै-9, अम्बेडकर बस्ती, वूलन मिल के पास, शास्त्री नगर, जोधपुर से लेने के सम्बन्ध में मुहरबन्द निविदा दिनांक 10.09.2025 दोपहर 01.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें <http://www.hcraj.nic.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। (अनुमानित सेवा राशि रुपये 3,60,000/- प्रति वर्ष)

आज्ञा से,


रजिस्ट्रार (बर्गीकरण-II),

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

1. पूर्ण रूप से भरी हुई मोहरबंद निविदा मय प्रपत्र व विवरण कार्यालय समय में दिनांक 10.09.2025 को दोपहर 01:00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 10.09.2025 को दोपहर 01.30 बजे उपस्थित प्रतिनिधी के समक्ष खोली जाएगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. निविदा में वर्णित दरें सभी करों सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। निविदा प्रपत्र व सभी संलग्नकों के सभी पृष्ठों पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करने होंगे तथा कॉट-छॉट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरे पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दरों में सेवा कार्य में प्रयुक्त सामान को कार्यालय में पहुँचाने का खर्चा (Handling Charges) भी सम्मिलित होगा।
3. उक्त सेवाएं प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जा रही है, जिसे संतोषप्रद पाये जाने पर नियमानुसार एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
4. सम्बन्धित व्यक्ति को कार्य आदेश का कार्य कार्यालय आदेश प्राप्ति के दस (10) दिवस के अन्दर शुरू करना होगा। निविदा में वर्णित दरों के सम्बन्ध में बाजार में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवा प्रदाता की होगी।
5. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। सन्तोषप्रद सेवा के पश्चात ही भुगतान देय होगा। प्रत्येक कार्य आदेशानुसार वर्णित समय सीमा में वांछित गुणवत्ता/निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप करना होगा।
6. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा।
7. उक्त कार्य सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न ही कोई जिम्मेवारी इस कार्यालय की होगी।
8. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।
9. निविदादाता को वांछित दस्तावेज (आधार कार्ड इत्यादि) की स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के संलग्न करनी होगी।
10. कार्यालय को उक्त निविदा को किसी भी स्तर पर समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस संबंध में संबंधित सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करेगा।
11. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के सात दिवस के भीतर कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार पत्र टंकण कर जमा करवाना होगा।
12. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
13. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त General Financial and Accounts Rules व Transparency in Public Procurement Act, 2012 & Rules, 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता

मय मोहर

घोषणा पत्र

(सेवा प्रदाता का घोषणा पत्र)

उपरोक्त समस्त जानकारी शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि उक्त निविदा के सम्बन्ध में श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा लिया गया निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। प्रतीकस्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वास्तव में निविदा में चाहा गया सेवा कार्य किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव रखता है।

मुझे राज्य सरकार/ बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ स्वायत्तशासी संस्थान/ निगम/ बैंक आदि के द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है।

यदि उपर्युक्त वर्णित घोषणा असत्य पायी जाए तो राजस्थान उच्च न्यायालय मेरे विरुद्ध कोई भी न्यायोचित कार्यवाही कर सकता है।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

